सं.2/2/2016-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 03 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के एस.ए.एस. नगर मोहाली में तैनात कर्मचारियों को चंडीगढ़ की दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एस.ए.एस. नगर मोहाली के अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चंडीगढ़ के बराबर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 13.10.1993 के का.ज्ञा.सं. 2(37)/ई.II(बी)/93 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एस.ए.एस. नगर मोहाली में मकान किराया भत्ते की स्वीकार्य दरों के संबंध में पत्र प्राप्त होते रहे हैं। इस मामले पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13.10.1993 के का.ज्ञा. के तहत एस.ए.एस. नगर मोहाली को चंडीगढ़ के बराबर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए दी गई विशेष छूट आगे भी जारी रहेगी।

अमिताभ बंद्योपाध्याय

(ए. बंधोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (अतिरिक्त प्रतियों के साथ) ।